भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4162
बुधवार, 1 अप्रैल, 2026 (11 चैत्र 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण

4162 # श्री शंभू शरण पटेलः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री नरहरी अमीनः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें कवर की गई इकाइयों की संख्या और इससे जुड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा शामिल हो;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है, जिसमें हार्डवेयर की स्थापना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) समाधान, अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा तकनीकी सहायता प्रणालियों की स्थापना सम्मिलित है;
(ग) केंद्र, राज्यों और एआरडीबी के बीच लागत-साझाकरण व्यवस्था क्या है तथा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कम्प्यूटरीकरण पहल ने ऋण प्रसंस्करण, अभिलेख प्रबंधन और वित्तीय प्रतिवेदन जैसे क्षेत्रों में मानकीकृत डिजिटल प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त परिचालन परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कंप्यूटरीकरण के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" नामक एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना अनुमोदित की है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी)के कंप्यूटरीकरण की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 119.40 करोड़ रुपये है। परियोजना में हार्डवेयर प्रापण, डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय स्तर के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर सहायता और एक केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना का प्रावधान है।

अब तक, केवल 10 राज्यों ने इस परियोजना को चुना है। राज्य-वार वर्तमान स्थिति का ब्योरा **संलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख) योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए गए घटकों का विवरण, जिसमें हार्डवेयर का परिनियोजन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)-समाधान, अभिलेखों का डिजिटलीकरण और तकनीकी सहायता प्रणालियों की स्थापना शामिल है जो निम्नानुसार है:

(i) **हार्डवेयर परिनियोजन:** प्रत्येक एआरडीबी इकाई के लिए निम्नलिखित 06 आवश्यक हार्डवेयर घटकों की परिकल्पना की गई है: डेस्कटॉप, लेजर प्रिंटर, वेब कैम, वीपीएन, यूपीएस + इन्वर्टर, बायोमीट्रिक स्कैनर।

(i) **सॉफ्टवेयर:** एआरडीबी के कंप्यूटरीकरण के लिए पैक्स हेतु राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के अनुकूलित संस्करण का उपयोग किया जाता है। नाबार्ड, एआरडीबी के परिचालनों हेतु सॉफ्टवेयर के अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर के पैक्स सॉफ्टवेयर विक्रेता (एनएलएसपीवी) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) ऋण उद्गम , प्रसंस्करण और प्रबंधन
ख) सदस्य/ग्राहक प्रबंधन
ग) लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन (जीएल, तुलन पत्र, आदि)
घ) वसूली और एनपीए ट्रैकिंग
ङ) एमआईएस और विनियामक रिपोर्टिंग
च) संपरीक्षा और अनुपालन सहायता
छ) आवश्यकतानुसार, सरकारी पोर्टलों के साथ एकीकरण।
ज) यह सॉफ्टवेयर एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर एआरडीबी के परिचालनों का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण और एकीकरण सुनिश्चित करेगा, जो सदस्य ग्राहकों को तीव्र, कुशल और पारदर्शी समाधान प्रदान करेगा।

(ii) **डीसीटी (डेटा कैप्चरिंग टूल) के माध्यम से अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य डीसीटी चरण में किया जाएगा, जिसमें लीगेसी डेटा का सिस्टम में माइग्रेशन शामिल है । वर्तमान में, डीसीटी में अनुकूलन कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिससे लीगेसी डेटा ऑनबोर्डिंग का मानकीकरण होगा और आगे के कंप्यूटरीकरण में सुगमता आएगी।

(iii) **तकनीकी सहायता:** नेशनल यूनिफाइड सॉफ्टवेयर वेंडर (एनयूएसवी) द्वारा उनके टिकटिंग टूल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परियोजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यान्वयन और सहायता के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) को ऑनबोर्ड करना अनिवार्य है।

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई वित्तीय सहायता **संलग्नक-'ख'** में दर्शायी गई है। केंद्र, राज्यों और एआरडीबी के बीच लागत-साझाकरण पैटर्न इस प्रकार से है: -

(i) **हार्डवेयर, डिजिटलीकरण और सहायता प्रणाली**: हार्डवेयर और डिजिटलीकरण की लागत भारत सरकार, राज्य सरकार और एआरडीबी के बीच साझा की जाती है। कुल अनुमानित लागत 18% जीएसटी सहित 103.89 करोड़ रुपये है। इस लागत का 25% (25.97 करोड़ रुपये) एआरडीबी द्वारा वहन किया जाता है और शेष 75% (77.91 करोड़ रुपये) भारत सरकार और सामान्य राज्यों द्वारा 50:40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी

राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) के लिए 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है, तथा बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100% लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(ii) **सर्व-समावेशी सॉफ्टवेयर:** पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा विकसित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग एआरडीबी के कंप्यूटरीकरण के साथ-साथ साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के लिए भी किया जा सकता है। **राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक** (एससीएआरडीबी/पीसीएआरडीबी) की आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर के अनुकूलन के लिए मामूली अतिरिक्त लागत होती है। सॉफ्टवेयर के अनुकूलन के लिए कुल अनुमानित लागत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 15.51 करोड़ रुपये है। इस घटक की लागत भारत सरकार (जीओआई) द्वारा वहन की जाती है ।

(घ) और (ङ) परियोजना के दिशा-निर्देशों में ईआरपी कार्यान्वयन के माध्यम से डिजिटल प्रक्रियाओं के मानकीकरण की परिकल्पना की गई है, जो निम्नलिखित को सक्षम बनाता है:

(i) सदस्य ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं (ऋण और गैर-ऋण) प्रदान करना, जिससे ऋण प्रसंस्करण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(ii) तीव्र, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली, जिससे बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित होता है ।

(iii) बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम

(iv) एमआईएस का समय पर सृजन

(v) ईआरपी प्रणाली एआरडीबी में प्रक्रिया एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता लाती है।

विभिन्न एआरडीबी इकाइयों के बीच डेटा प्रारूपों और पदानुक्रम का मानकीकरण, जो प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए अद्वितीय है, एआरडीबी इकाइयों को शामिल करने के लिए एफएचआर (फर्स्ट हैंड रिपोर्ट) और एफवीआर (फील्ड सत्यापन रिपोर्ट) चरणों के दौरान प्राप्त किया गया है। अतः, सहभागी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एआरडीबी इकाइयों के बेसलाइन डेटा सत्यापन और संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है।

संलग्नक-'क'

क्रम सं.	राज्य	कुल एआरडीबी	हार्डवेयर वितरित किया गया
1	गुजरात	195	440
2	हरियाणा	90	0
3	हिमाचल प्रदेश	88	202
4	राजस्थान	163	351
5	पंजाब	113	0
6	कर्नाटक	207	467
7	तमिलनाडु	216	471
8	पुडुचेरी	2	4
9	त्रिपुरा	6	5
10	उत्तर प्रदेश	342	0
	कुल	**1422**	**1940**

संलग्नक-'ख'

एआरडीबी कंप्यूटरीकरण: वर्ष-वार निधि जारी करने की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी राशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी राशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी राशि	जारी की गई कुल राशि
1	पुडुचेरी	0.04	0	0.07	0.11
2	पंजाब	0.47	0	0.95	1.42
3	त्रिपुरा	0.04	0	0.10	0.14
4	उत्तर प्रदेश	1.27	0	1.56	2.84
5	कर्नाटक	0.80	0	0.48	1.28
6	तमिलनाडु	0	1.49	0.48	1.96
7	हरियाणा	0	0.76	0.30	1.06
8	हिमाचल प्रदेश	0	0.56	0.48	1.04
9	गुजरात	0	0.82	0.47	1.29
10	राजस्थान	0	0.67	1.73	2.39
कुल		**2.62**	**4.29**	**6.61**	**13.53**